Website Download on dated 7-3-26

Directorate of School Education
07 MAR 2026
Himachal Pradesh, Shimla-171001

संख्या: (स्कूल शिक्षा)-एच-(खेल-27)- मीटिंग/ 2025-26.
स्कूल शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश लालपानी शिमला -171001 ।
दिनांक शिमला 171001 मार्च -2026

सेवा में,

समस्त उपनिदेशक, जिला मुख्यालय, हिमाचल प्रदेश।
समस्त प्रधानाचार्य, खेल छात्रावास, हिमाचल प्रदेश।
समस्त प्रशिक्षक, खेल छात्रावास, हिमाचल प्रदेश।

विषय: **दिनांक 23.02.2026 को निदेशालय स्तर पर आयोजित खेल छात्रावासों समीक्षा बैठक की कार्यवाही प्रेषित करने संबंधी।**

ज्ञापन,

दिनांक 23 फरवरी 2026 को निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में प्रदेश के समस्त खेल छात्रावासों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण प्रणाली, वित्तीय प्रबंधन, मॉनिटरिंग व्यवस्था, जिम उपकरण उपलब्ध करवाने, डाइट मनी भुगतान तथा अन्य प्रशासनिक एवं विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा उपरांत आवश्यक निर्णय लिए गए। **बैठक की स्वीकृत कार्यवाही की प्रति इस पत्र के साथ अनुलग्नक (Annexure-A) के रूप में प्रेषित की जा रही है।**

आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यवाही में वर्णित निर्णयों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। संबंधित बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस विषय को अत्यंत प्राथमिकता प्रदान की जाए।

<u>संलग्न: अनुलग्नक-A – दिनांक 23.02.2026 की बैठक की कार्यवाही (Proceedings)</u>

Deputy Director of
School Education (Sec)
06 MAR 2026
Dispatch No. 2054
Kangra at Dharamshala

(आशीष कोहली, आई. ए. एस.)
निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशालय हि. प्र. शिमला -01.

पृष्ठांकन संख्या ... दिनांक ... शिमला ... मार्च 2026 ।

EDN-No-KGR (Sec) 2025-26/
Office of the Dy Director School Education (Sec)
Kangra at Dharamshala

Copy forwarded to the following information and necessary action.

(I) All Principal/Headmaster/GSSS/GHS Dist Kangra
(II) Guard file

DDSE (Sec)
Kangra at Dharamshala

शिक्षा विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों की समीक्षा बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक: 23 फरवरी 2026 ,   **स्थान:** निदेशालय, स्कूल शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-01.

दिनांक 23 फरवरी 2026 को निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, श्री **आशीष कोहली जी, (आई. ए. एस)**, की अध्यक्षता में विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) **श्री बी. आर. शर्मा जी**, संयुक्त निदेशक (स्कूल) **डॉ. जगदीश चंद नेगी जी**, ए.डी.पी.ई.ओ.(HQ), **श्री संतोष चौहान**, सहायक निदेशक (शारीरिक शिक्षा) श्री **अजय पांटा**, तकनीकी सहायक **श्री सुरेन्द्र शर्मा** सहित प्रदेश के समस्त खेल छात्रावासों के प्रधानाचार्य एवं कोचगण उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त, प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष **श्री दिनेश सोहटा**, डी.पी.ई. संघ के अध्यक्ष **श्री सुरजीत परमार**, शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष **श्री ललित चौहान**, शारीरिक शिक्षक संघ की महासचिव **श्रीमती रेखा ठाकुर** तथा अन्य शारीरिक शिक्षकगण भी बैठक में सम्मिलित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य खेल छात्रावासों की कार्यप्रणाली, चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन प्रणाली तथा भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तृत एवं व्यापक विचार-विमर्श करना था।

मद संख्या 01: प्रदेश में खेल संरचना एवं चयन प्रक्रिया पर प्रारंभिक चर्चा

सभी उपस्थित सदस्यों के परिचय के उपरांत अध्यक्ष महोदय, ने बैठक का शुभारंभ किया। बैठक में पूर्व में प्रचलित खेल छात्रावासों की चयन प्रक्रिया को सभा के समक्ष रखा गया। अवगत कराया गया कि खेल छात्रावासों में प्रवेश हेतु पृथक रूप से ट्रायल आयोजित किए जाते थे, जिनमें लगभग 80 से 100 अभ्यर्थी भाग लेते थे। इस पर निदेशक महोदय ने कहा कि वर्तमान समय में चयन प्रक्रिया अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी एवं अवसर-समानता पर आधारित होनी चाहिए, ताकि प्रदेश के प्रत्येक योग्य खिलाड़ी को समान अवसर प्राप्त हो सके। उन्होंने प्रदेश की खेल संरचना का विस्तृत उल्लेख करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष लगभग सवा लाख विद्यार्थी ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इन प्रतियोगिताओं से चयनित लगभग 32,000 से 35,000 खिलाड़ी जिला स्तर पर पहुँचते हैं, जहाँ प्रतिस्पर्धा अधिक सघन एवं गुणवत्ता-आधारित हो जाती है। जिला स्तर से चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार चरणबद्ध एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया के माध्यम से राज्य स्तर तक वही प्रतिभाएँ पहुँचती हैं, जो प्रदर्शन की दृष्टि से श्रेष्ठ होती हैं।

निदेशक महोदय ने स्पष्ट किया कि इतनी व्यापक एवं प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली होने के बावजूद खेल छात्रावासों में प्रवेश हेतु पृथक ट्रायल आयोजित करना चयन प्रक्रिया को सीमित दायरे में बाँध देता है तथा स्थानीय प्रभाव की संभावना भी उत्पन्न कर सकता है।

विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत निम्न निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए—

1. **भविष्य में खेल छात्रावासों में प्रवेश हेतु पृथक ट्रायल आयोजित नहीं किए जाएंगे।**
2. **अंडर-14 राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं की निर्धारित मेरिट रैंकिंग के आधार पर ही रिक्त सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।**

3. **यदि चयनित खिलाड़ी प्रवेश ग्रहण नहीं करता है, तो क्रमवार अगली मेरिट रैंक वाले खिलाड़ी को अवसर प्रदान किया जाएगा।**
4. **अंडर-19 वर्ग में भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं** के आधार पर मेरिट रैंकिंग तैयार की जाएगी, **जिसके माध्यम से महाविद्यालय स्तर पर संचालित** छात्रावासों हेतु चयन किया जाएगा।
5. अंडर-17 वर्ग में **राष्ट्रिय प्रतियोगिता में यदि कोई खिलाड़ी** असाधारण (Extraordinary) प्रदर्शन करता है, तो उत्कृष्ट श्रेणी के अंतर्गत उसे भी रिक्त सीटों पर चयनित करने का प्रावधान रखा जाएगा।

उपरोक्त सभी निर्णयों को बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

मद संख्या 02: प्रशिक्षण प्रणाली (Training Schedule) का मानकीकरण

बैठक में यह पाया गया कि विभिन्न खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण पद्धति एक समान नहीं है तथा कोई एकीकृत एवं वैज्ञानिक प्रशिक्षण मॉड्यूल लागू नहीं है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा करते हुए **अध्यक्ष महोदय** ने स्पष्ट किया कि यदि प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित करना है, तो प्रशिक्षण व्यवस्था का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप, वैज्ञानिक एवं परिणामोन्मुख होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी कोच अपने-अपने खेलों से संबंधित वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Schedule) का विस्तृत विवरण निर्धारित समयावधि के भीतर निदेशालय को प्रस्तुत करें। निदेशालय स्तर पर इन कार्यक्रमों का परीक्षण एवं मूल्यांकन कर एक समान, वैज्ञानिक तथा सुव्यवस्थित प्रशिक्षण ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसे प्रदेश के सभी खेल छात्रावासों में अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। इस संदर्भ में अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) **श्री बी. आर. शर्मा जी** ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक खेल छात्रावास में सुव्यवस्थित प्रशिक्षण अनुसूची (Training Schedule) एवं पाठ्यक्रम (Syllabus) का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन होगा। अतः सभी कोच एवं संबंधित अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से तैयार कर उसका पालन सुनिश्चित करें।

उक्त विषय पर दिए गए निर्देशों का सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा समर्थन किया गया।

मद संख्या 03: प्रदर्शन आधारित कार्यप्रणाली एवं लक्ष्य निर्धारण

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अब खेल छात्रावासों को परिणाम के आधार पर कार्य करना होगा। प्रत्येक छात्रावास अपने खेल के अनुसार वार्षिक लक्ष्य तय करेगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। उन्होंने निर्देश दिए कि खिलाड़ियों का नियमित मूल्यांकन किया जाए और उनकी प्रगति का रिकॉर्ड ठीक प्रकार से रखा जाए, ताकि समय-समय पर आवश्यक सुधार किए जा सकें। सभी कोचों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे 10 दिनों के भीतर पिछले वर्ष के अपने खेल परिणामों का विवरण तैयार कर निदेशालय को भेजें। इसमें यह उल्लेख किया जाए कि कितने खिलाड़ियों ने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया, कितने पदक प्राप्त हुए तथा कुल उपलब्धियाँ क्या रहीं। सभी उपस्थित सदस्यों ने इन निर्देशों का पालन करने पर सहमति व्यक्त की।

मद संख्या 04: मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण व्यवस्था

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि खेल छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। निदेशालय स्तर से समय-समय पर छात्रावासों का निरीक्षण किया जाएगा, जिसमें सभी प्रमुख बिंदुओं का परीक्षण किया जाएगा।साथ ही, जिला मुख्यालय स्तर पर उपनिदेशक (Deputy Director) द्वारा भी छात्रावासों का निरीक्षण उसी प्रकार किया जाएगा, जैसे विद्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। निर्देशित किया गया कि संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्य खेल छात्रावास को विद्यालय का अभिन्न अंग मानें तथा उसकी सुरक्षा, अनुशासन एवं सुचारु संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। प्रधानाचार्यों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हुए यह भी निर्देश दिया गया कि छात्रावास की गतिविधियों, प्रशिक्षण, अनुशासन एवं अन्य व्यवस्थाओं की नियमित रिपोर्ट निदेशालय को प्रेषित की जाए। सभी उपस्थित अधिकारियों ने इन निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया।

मद संख्या 05: अनुशासन एवं "Weed-Out" प्रक्रिया

बैठक के दौरान छात्रावास कोचों ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष यह समस्या रखी कि कई खिलाड़ी चयन के बाद उदासीन हो जाते हैं। उन्हें यह आभास हो जाता है कि अब वे कक्षा +2 तक छात्रावास में बने रहेंगे, जिससे उनके प्रदर्शन में गिरावट आती है और छात्रावास के समग्र परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस विषय पर चर्चा करते हुए अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) **श्री बी. आर. शर्मा जी** ने कहा कि छात्रावासों में प्रतिस्पर्धात्मक एवं अनुशासित वातावरण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

निर्णय लिया गया कि खिलाड़ियों का समय-समय पर प्रदर्शन मूल्यांकन किया जाएगा। यदि कोई खिलाड़ी निर्धारित मानकों के अनुसार संतोषजनक प्रदर्शन नहीं करता है, तो उसे पहले सुधार का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि निर्धारित अवधि (अधिकतम 02 वर्ष) के भीतर उसके प्रदर्शन में अपेक्षित सुधार नहीं होता है, तो नियमानुसार उसे छात्रावास से मुक्त किया जाएगा। उसके स्थान पर मेरिट के आधार पर नए खिलाड़ी को प्रवेश दिया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य खेल छात्रावासों में गंभीरता, अनुशासन एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाए रखना है।

मद संख्या 06: वित्तीय प्रबंधन एवं डाइट मनी

वित्तीय विषयों पर चर्चा करते हुए यह निर्देश दिया गया कि प्रत्येक खेल छात्रावास आगामी वित्त वर्ष का वास्तविक व्यय अनुमान निर्धारित समय में निदेशालय को भेजे। वर्ष 2025-26 की लंबित डाइट मनी के भुगतान के संबंध में यह अवगत कराया गया कि सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिसके अनुसार उपलब्ध *Unspent Fund* का 85 प्रतिशत तक उपयोग किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—

1. सभी प्रधानाचार्य लंबित डाइट मनी का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करें।
2. छात्रावास में उपलब्ध *Unspent Amount* का उपयोग आवश्यक लंबित कार्यों (जैसे मरम्मत, मूलभूत सुविधाएँ आदि) के लिए समयबद्ध रूप से किया जाए।
3. खिलाड़ियों को समय पर संतुलित एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
4. किए गए भुगतान एवं व्यय की सूचना तत्काल निदेशालय को प्रेषित की जाए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि "**यह प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि लंबित भुगतान एवं आवश्यक कार्य समय पर पूरे किए जाएँ। यदि इसमें अनावश्यक विलंब होता है, तो उसकी जवाबदेही संबंधित प्रधानाचार्य की होगी।**" इस निर्णय का उद्देश्य खेल छात्रावासों का वातावरण बेहतर बनाना तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएँ समय पर उपलब्ध कराना है।

मद संख्या 07: स्पोर्ट्स हॉस्टलों में जिम उपकरण उपलब्ध करवाने संबंधी मांग

बैठक के दौरान विभिन्न खेल छात्रावासों के प्रधानाचार्यों एवं कोचों ने निदेशक महोदय के समक्ष यह विषय रखा कि अधिकांश खेल छात्रावासों में नियमित शक्ति प्रशिक्षण (Strength Training) के लिए आवश्यक जिम उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। खिलाड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं आधुनिक खेल मानकों को ध्यान में रखते हुए छात्रावासों में उपयुक्त जिम उपकरण उपलब्ध करवाने की मांग की गई।

इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए **अध्यक्ष महोदय**, ने कहा कि खिलाड़ियों के समग्र शारीरिक विकास के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण आवश्यक है और जिम सुविधा उसका महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने शारीरिक शिक्षा शाखा को निर्देश दिए कि "खेल से स्वास्थ्य योजना" के अंतर्गत उपलब्ध बजट का आकलन कर प्रदेश के सभी खेल छात्रावासों को उनकी आवश्यकता एवं उपलब्ध अधोसंरचना के अनुसार जिम उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं।

यह भी निर्देशित किया गया कि—

1. **जिन छात्रावासों में जिम स्थापित करने हेतु पृथक कक्ष या पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए।**
2. **बड़े छात्रावास, जैसे स्पोर्ट्स हॉस्टल जुब्बल, जहाँ वर्तमान में लगभग 70 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा आगामी सत्र में संख्या लगभग 95 होने की संभावना है, वहाँ पर्याप्त एवं उच्च क्षमता वाले जिम उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं।**
3. **जिन छात्रावासों में खिलाड़ियों की संख्या कम (लगभग 20) है, वहाँ उनकी आवश्यकता के अनुसार सीमित परंतु आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं।**

अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश दिया कि उपलब्ध बजट को सभी छात्रावासों की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार संतुलित एवं न्यायसंगत रूप से विभाजित किया जाए। साथ ही, सभी प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया कि जिम उपकरणों की खरीद एवं स्थापना हिमाचल प्रदेश वित्त नियमों के अनुरूप ही की जाए। समस्त व्यय स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार किया जाए तथा उपयोग प्रमाण पत्र एवं व्यय विवरण समय पर निदेशालय को भेजे जाएं।

इस निर्णय का सभी प्रधानाचार्यों एवं कोचों ने स्वागत किया तथा खिलाड़ियों के हित में लिए गए निर्णय के लिए निदेशक महोदय का आभार व्यक्त किया।

मद संख्या 08: अध्यक्षीय समंबोधन

अध्यक्ष महोदय ने सभा को अवगत कराया कि सरकार द्वारा चौपाल (वॉलीबॉल – बालक), शिलाई (कबड्डी – बालिका) तथा मोरसिंघी, जिला बिलासपुर (हैंडबॉल) में नए खेल छात्रावासों को स्वीकृति

प्रदान की गई है तथा जुब्बल हॉस्टल को बॉक्सिंग की नई खेल विधा भी प्रदान की गई है। इन स्वीकृतियों के उपरांत प्रदेश में खेल छात्रावासों की संख्या बढ़कर 12 हो जाएगी, जिससे उनकी क्षमता में वृद्धि होगी तथा अधिक से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं आवास की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। निदेशक महोदय ने संबंधित नए खेल छात्रावासों के प्रधानाचार्यों एवं उपनिदेशकगण को निर्देशित किया कि वे छात्रावासों की स्थापना, आधारभूत संरचना, स्टाफ नियुक्ति एवं खिलाड़ियों के प्रवेश से संबंधित अद्यतन स्थिति (Present Status) की रिपोर्ट नियमित एवं समयबद्ध रूप से निदेशालय को भेजें, ताकि कार्य की निरंतर समीक्षा की जा सके।

अपने समापन उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रदेश के विद्यार्थियों में अपार प्रतिभा है। यदि चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, प्रशिक्षण वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हो, प्रबंधन उत्तरदायी हो तथा अनुशासन सुदृढ़ रखा जाए, तो हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों एवं कोचों से पूर्ण समर्पण, पारदर्शिता एवं समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का विधिवत समापन किया गया।

(आशीष कोहली, आई. ए. एस,)
निदेशक
स्कूल शिक्षा निदेशालय हि प्र शिमला -01.

Directorate of School Education
02 MAR 2026
Himachal Pradesh, Shimla-171001